न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 187 / 2024

हरिसिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी सिंगनौर तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनू (राज.)

–वादी

बनाम

1. चोरूराम पुत्र हनुमान
2. प्रभात पुत्र हनुमान (मृत)
   2 क. अणची देवी पत्नी स्व. प्रभात
3. भूरी देवी (मृत)
4. भागु पुत्र चन्द्रा
5. मखन पुत्र चन्द्रा
6. महावीर पुत्र हनुमान
7. राजेन्द्र पुत्र रामनिवास
8. राधा पत्नी चन्द्रा (मृत)
9. लक्ष्मी देवी पत्नी रामनिवास (मृत)
10. शीशपाल पुत्र चन्द्रा

    समस्त निवासीगण सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भोड़की जरिये शाखा प्रबंधक।
12. पंजाब नेशनल बैंक शाखा उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबंधक।
13. तहसीलदार तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनूं।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन
निर्णय

दिनांक 08/9/25

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम सिंगनौर पटवार हल्का सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी की सहरद में हाल खसरा नम्बर 1181 / 505 रकबा 0.0900 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में वादी का 1 / 2 हिस्सा तथा शेष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 का है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि अविभाजित भूमि है जिसका विधिवत् विभाजन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के मध्य नहीं हुआ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 का उक्त आराजी में बाह्मी बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से में कब्जा काश्त है। उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं होने के कारण वादी अपने हिस्से की

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

भूमि में किसी प्रकार का सुधार कार्य नहीं कर सकता तथा ना ही खाम व पुख्ता निर्माण कर सकता तथा कृषि कार्यों के लिए बैंक आदि से ऋण वगैरह लेने में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी अपने हिस्से का कब्जा काश्त के मुताबिक पृथक से बंटवारा करवाकर खाता अलग करवाने का अधिकारी है। उक्त आराजी का विधिवत् बंटवारा करवाने के लिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 से निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 ने वादी को कहा कि 5–7 रोज में तहसील में चलकर उक्त भूमि का विभाजन करवा लेंगे लेकिन दिनांक 25.04.2024 को वादी ने पुनः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 से उक्त भूमि का विभाजन करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादीगण विधिवत् विभाजन करवाने के लिए साफ इंकार हो गये। इस कारण यह वाद इस न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 05.05.2025 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2017 दिनांक 18.06.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना गया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सिंगनौर पटवार हल्का सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी की सहरद में हाल खसरा नम्बर 1181/505 रकबा 0.0900 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2017 दिनांक 18.06.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....08/9/25.......... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुन्झुनू

सहायक कलेक्टर
झुन्झुनूं

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :- श्री सुप्रिया आर. ए. एस.)

उनवान

हरिसिंह बनाम चौरूराम

मुकदमा नं. : 187 / 2024 निर्णय दिनांक : 08/9/25

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द सैनी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 08/9/25 को सुप्रिया सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम सिंगनौर पटवार हल्का सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी की सहरद में हाल खसरा नम्बर 1181 / 505 रकबा 0.0900 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2025 / 2017 दिनांक 18.06.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर झुन्झुनूं

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	2 1	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	3	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर झुन्झुनूं
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं